https://cercind.gov.in/Regulations/172-GAZ.pdf

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052022-236019
CG-DL-E-28052022-236019

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944
No. 272] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISHTHA 3, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

सं. आरए–14026(11)/1/2022–केविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 की उप–धारा (2) के खंड (म) के साथ पठित धारा 66 और धारा 178 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत में बाजार के विकास के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022 है।

2. ये विनियम आयोग द्वारा शासकीय राजपत्र में यथा अधिसूचित तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **'अधिनियम'** से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) **'केंद्रीय एजेंसी'** से इन विनियमों के विनियम 3 में यथा संदर्भित एजेंसी अभिप्रेत है;

(ग) **'प्रमाणपत्र'** से इन विनियमों के अनुसार केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) **'प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर'** से इन विनियमों के विनियम 12 के अधीन यथा अवधारित मल्टीप्लायर अभिप्रेत है;

(ङ) **'आयोग'** से अधिनियम की धारा 76 की उप–धारा (1) में संदर्भित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(च) **'संपूर्ण आवेदन'** से विस्तृत क्रियाविधि में यथा अनुबंधित प्रारूप में हर प्रकार से संपूर्ण आवेदन अभिप्रेत है;

(छ) **'विस्तृत क्रियाविधि'** से इन विनियमों के अधीन केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी क्रियाविधि अभिप्रेत है;

(ज) **'पात्र इकाई'** से इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्रों के निर्गमन के लिए पात्र इकाई अभिप्रेत है;

(झ) **'ग्रिड कोड'** से अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है;

(ञ) **'राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र'** से अधिनियम की धारा 26 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र अभिप्रेत है;

(ट) **'बाध्य इकाई'** से वह इकाई अभिप्रेत है जिसके लिए राज्य आयोग ने नवीकरणीय क्रय बाध्यता को पूरा करने हेतु अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन आवश्यकता विनिर्दिष्ट की है;

(ठ) **'पावर एक्सचेंज'** से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार) विनियम, 2021 के विनियम 2 के खंड (1) के उप–खंड (कध) के अधीन यथा परिभाषित पावर एक्सचेंज अभिप्रेत है;

(ड) **'आरईसी विनियम, 2010'** से समय–समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(ढ) **'प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र'** या **'आरएलडीसी'** से अधिनियम की धारा 27 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अभिप्रेत है;

(ण) **'पंजीकरण'** से नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों को जारी करने के प्रयोजन हेतु केंद्रीय एजेंसी द्वारा पात्र इकाइयों का पंजीकरण अभिप्रेत है;

(त) **'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों'** से हाइड्रो, पवन, सौर और संयुक्त चक्र, बायोमास, बायो ईंधन सहउत्पादन, शहरी या नगरपालिका अपशिष्ट और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित ऐसे अन्य स्रोतों के साथ इसके एकीकरण सहित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अभिप्रेत हैं;

(थ) **'नवीकरणीय क्रय बाध्यता'** या **'आरपीओ'** से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के क्रय हेतु इकाई के लिए अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन राज्य आयोगों द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यकता अभिप्रेत है;

(द) **'राज्य एजेंसी'** से प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु पात्र इकाइयों के प्रत्यायन के लिए संबंधित राज्य आयोग द्वारा नामित एजेंसी अभिप्रेत है;

(ध) **'राज्य आयोग'** से अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (64) में संदर्भित राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(न) **'राज्य ग्रिड कोड'** से अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) के खंड (ज) के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड कोड अभिप्रेत है;

(प) **'व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020'** से समय–समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 और उसका पुनराधिनियमन अभिप्रेत है; और

(फ) **'वर्ष'** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम या आयोग द्वारा जारी किसी अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जैसा कि क्रमशः अधिनियम या आयोग द्वारा जारी ऐसे किसी अन्य विनियम में है।

3. केंद्रीय एजेंसी और इसके कार्य

(1) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, इन विनियमों के प्रयोजन हेतु केंद्रीय एजेंसी होगाः

परंतु यह कि आयोग यह संतुष्ट होने पर कि ऐसी एजेंसी के पास इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित कृत्यों को करने का अपेक्षित सामर्थ्य है, किसी अन्य एजेंसी को केंद्रीय एजेंसी के रूप में नामित कर सकता है।

(2) केंद्रीय एजेंसी के कृत्य निम्नलिखित होंगेः

i) पात्र इकाइयों का पंजीकरण करना,

ii) प्रमाणपत्रों के संबंध में उत्पादन और बिक्री के लेखांकन के लिए तंत्र का निर्माण करना;

iii) प्रमाणपत्रों को जारी करना,

iv) प्रमाणपत्रों के संबंध में लेखा का रखरखाव और निपटारा करना,

v) प्रमाणपत्रों में संव्यवहारों के निधान संग्रह के रूप में कार्य करना,

vi) प्रमाणपत्रों की रजिस्ट्री का रखरखाव,

vii) इस खंड के उप–खंड (i) से उप–खंड (vi) तक से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, और

viii) आयोग द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कार्य को करना।

4. प्रमाणपत्र जारी करने की पात्रता

(1) निम्नलिखित इकाइयां प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र होंगीः

(क) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन,

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन स्टेशन,

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, और

(घ) निर्बाध पहुंच उपभोक्ता

(2) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए पात्र होगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हैः

(क) ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन का टैरिफ, पूरी क्षमता या कुछ भाग के लिए अधिनियम की धारा 62 या धारा 63 के अधीन क्रमशः अवधारित या अंगीकृत नहीं किया गया है, या उत्पादित विद्युत की किसी बाध्य इकाई द्वारा आरपीओ अनुपालन के लिए सीधे रूप से या विद्युत व्यापारी के माध्यम से या पावर एक्सचेंज में बिक्री नहीं की गई हैः

(ख) ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन ने किसी (प) किसी छूट का या रियायती पारेषण प्रभारों या (पप) छूट का या रियायती व्हीलिंग प्रभारों का लाभ नहीं उठाया है।

(3) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन के संबंध में इस विनियम के खंड (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले कैप्टिव उत्पादन स्टेशन प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए पात्र होंगेः

परंतु यह कि ऐसे कैप्टिव उत्पादन स्टेशन को स्व–उपभोग की सीमा तक जारी किए गए प्रमाणपत्र, बिक्री के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के रूप में बाध्य इकाई, जो कि संबंधित राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित नवीकरणीय क्रय बाध्यता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का क्रय करती है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऐसी अधिक विद्युत के क्रय की सीमा तक प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए पात्र होगी।

5. प्रक्रियाएं

इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में (i) प्रमाणपत्रों के लिए पात्र इकाइयों का प्रत्यायन और (ii) प्रमाणपत्रों के लिए पात्र इकाइयों का पंजीकरण और (iii) प्रमाणपत्रों का निर्गमन, विनिमय और मोचन शामिल है।

6. प्रमाणपत्रों के लिए प्रत्यायन प्रदान किया जाना

(1) अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध पात्र इकाइयों को प्रत्यायन राज्य एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगाः

परंतु यह कि पात्र इकाइयों को इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व प्रदान किए गए प्रत्यायन को उनके संबंधित प्रत्यायनों की वैधता तक इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रत्यायन समझा जाएगा।

(2) अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ी पात्र इकाइयों को प्रत्यायन, विस्तृत क्रियाविधि के भाग के रूप में केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्यायन के लिए क्रियाविधि के अनुसार उस क्षेत्र की आरएलडीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा जिसमें ऐसी पात्र इकाइयां स्थित हैं।

परंतु यह कि पात्र इकाइयों को इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व प्रदान किए गए प्रत्यायनों को इन विनियमों के अधीन प्रदान किए गए प्रत्यायन समझा जाएगा और उनके प्रत्यायन उनके संबंधित प्रत्यायनों की वैधता की तारीख तक वैध होंगे।

(3) पात्र इकाइयां जिन्हें प्रत्यायन प्रदान किए गए हैं, इस विनियम के खंड (2) में संदर्भित, प्रत्यायन प्रदान किए जाने के बाद जिनके नाम अथवा विधिक प्रास्थिति में परिवर्तन हुआ है, कंपनी रजिस्ट्रार या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या किसी अन्य न्यायालय जैसे समुचित प्राधिकरण से सुसंगत दस्तावेजों के साथ संबंधित आरएलडीसी को सूचित करेंगे, जो दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, इस परिवर्तन को ऐसी सूचना की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने रिकॉर्ड में अद्यतन करेंगे और इसे केंद्रीय एजेंसी को सूचित करेंगे।

(4) इस विनियम के खंड (1) और खंड (2) में उपबंधों के होते हुए भी, इन विनियमों के विनियम 4 के खंड (4) में विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी या निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रदान किए जाने के लिए प्रत्यायित किया गया समझा जाएगा।

7. प्रत्यायन का प्रतिसंहरण

संबंधित आरएलडीसी, जांच करने और नोटिस देने के बाद, ऐसे प्रतिसंहरण के लिए कारणों को रिकार्ड करते हुए, इन विनियमों के विनियम 6 के खंड (2) में संदर्भित पात्र इकाई को प्रदान किए गए प्रत्यायन को प्रतिसंहृत कर सकता है, यदि पात्र इकाई अपने प्रत्यायन के किसी भी निबंधनों या शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसका उल्लंघन इस प्रकार के प्रत्यायन द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिसंहरण के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु घोषित किया गया है।

8. प्रमाणपत्रों के लिए पंजीकरण प्रदान किया जाना

(1) पात्र इकाई जिसे प्रत्यायन प्रदान किया गया है या जिसे इन विनियमों के अधीन प्रत्यायन प्रदान किया गया समझा गया है, विस्तृत क्रियाविधि के भाग के रूप में केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के लिए पंजीकरण हेतु क्रियाविधि के अनुसार केंद्रीय एजेंसी द्वारा पंजीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगीः

परंतु यह कि इकाइयां जिन्हें आरईसी विनियम, 2010 के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया है, उन्हें इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया समझा जाएगा।

(2) इन विनियमों के निबंधनों में अनुदत्त पंजीकरण, पंजीकरण की तारीख से पच्चीस वर्षों के लिए वैध होगाः

परंतु यह कि आरईसी विनियम, 2010 के अधीन अनुदत्त पंजीकरण और इन विनियमों के अधीन समझा गया अनुदत्त पंजीकरण, समझे गए पंजीकरण की तारीख से पच्चीस वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

(3) पंजीकरण अनुदत्त की गई इकाइयां जिनके पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद नाम या विधिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है, वे कंपनी रजिस्ट्रार या राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण या किसी अन्य न्यायालय जैसे समुचित प्राधिकरण से सुसंगत दस्तावेजों के साथ केंद्रीय एजेंसी को सूचित करेंगी, जो दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ऐसे आवेदन की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने रिकॉर्ड में ऐसे परिवर्तन को अद्यतन करेगी।

9. पंजीकरण का प्रतिसंहरण

केंद्रीय एजेंसी, जांच करने और नोटिस देने के बाद, ऐसे प्रतिसंहरण के लिए कारणों को रिकार्ड करते हुए, इन विनियमों के विनियम 8 के खंड (1) में संदर्भित पात्र इकाई को प्रदान किया गया पंजीकरण को प्रतिसंहृत कर सकता है, यदि पात्र इकाई अपने पंजीकरण के किसी भी निबंधनों या शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसका उल्लंघन इस प्रकार के पंजीकरण द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिसंहरण के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु घोषित किया गया है।

10. प्रमाणपत्रों का निर्गमन

(1) पात्र इकाई, जिसे पंजीकरण प्रदान किया गया है या जिसे पंजीकरण प्रदान किया गया समझा गया है, वह विस्तृत क्रियाविधि के भाग के रूप में केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के निर्गमन की क्रियाविधि के अनुसार केंद्रीय एजेंसी को प्रमाणपत्रों के निर्गमन हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) पात्र इकाई द्वारा प्रमाणपत्रों के निर्गमन हेतु आवेदन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो पर आधारित या कैप्टिव उत्पादन स्टेशन होने के नाते, पात्र इकाई द्वारा संबंधित उत्पादन से छह मास के अंदर केंद्रीय एजेंसी को किया जाएगाः

परंतु यह कि यदि संबंधित उत्पादन से छह मास की अवधि के बाद आवेदन किए जाते हैं, तो कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(3) पात्र इकाई द्वारा प्रमाणपत्रों के निर्गमन हेतु आवेदन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या निर्बाध पहुंच उपभोक्ता होने के नाते, संबंधित राज्य आयोग द्वारा यथावधारित नवीकरणीय क्रय बाध्यता के आधिक्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के क्रय के बारे में संबंधित राज्य आयोग से प्रमाणपत्र की प्रति के साथ, वित्तीय वर्ष के अंत से तीन मास के अंदर किया जाएगाः

परंतु यह कि यदि वित्तीय वर्ष के अंत से तीन मास की अवधि के बाद आवेदन किए जाते हैं, तो कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(4) केंद्रीय एजेंसी, पात्र इकाई से प्रमाणपत्रों के निर्गमन हेतु संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर प्रमाणपत्र जारी करेगी या रद्द के लिए कारणों को रिकॉर्ड करते हुए आवेदन रद्द करेगी और इसे संबंधित इकाई को सूचित करेगी।

(5) प्रमाणपत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन स्टेशन के नाते पात्र इकाई को जारी किया जाएगा जो उत्पादित और ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित पात्र कैप्टिव उत्पादन स्टेशन द्वारा स्व–उपभोग के मामले में अंतःक्षेपित समझा जाएगा और ऊर्जा लेखांकन प्रणाली में विधिवत् लेखांकित किया जाएगाः

i) यथास्थिति ग्रिड कोड या राज्य ग्रिड कोड के अनुसार, या

ii) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन द्वारा ऊर्जा इनपुट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन स्टेशन, जो मौजूदा अनुसूचीकरण और प्रेषण क्रियाविधियों के अधीन शामिल नहीं हैं, के संबंध में संबंधित राज्य भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिखित संप्रेषण के आधार पर।

(6) वे इकाइयां जिन्हें पंजीकरण प्रदान किया गया है या जिन्हें इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया समझा गया है, उनके पंजीकरण की वैधता अवधि के लिए प्रमाणपत्रों के निर्गमन हेतु पात्र होंगी।

11. प्रमाणपत्रों का विनिमय और मोचन

(1) केंद्रीय एजेंसी प्रमाणपत्रों की रजिस्ट्री का रखरखाव करेगी।

(2) प्रमाणपत्रों को पावर एक्सचेंजों या विस्तृत क्रियाविधि में केंद्रीय एजेंसी द्वारा यथा अनुबंधित ऐसी आवधिकता में विद्युत के व्यापारियों के माध्यम से विनियमित किया जाएगा।

(3) पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में प्रमाणपत्रों के विनिमय के लिए पावर एक्सचेंज संबंधित उपनियमों और नियमों के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 के अधीन आयोग का यथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(4) विद्युत व्यापारियों के माध्यम से प्रमाणपत्रों का विनिमय निम्नलिखित के अध्याधीन होगाः

(क) पात्र इकाइयां विद्युत व्यापारियों के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की संख्या के बारे में केंद्रीय एजेंसी को अग्रिम रूप में सूचित करेंगी।

(ख) केन्द्रीय एजेंसी रजिस्ट्री में इस प्रकार के प्रमाणपत्रों की संख्या को ब्लॉक करेगी जैसे कि इस खण्ड के उक्त खण्ड (क) के अनुसार पात्र इकाइयों द्वारा सूचित किया गया है।

(ग) इस खण्ड के उपखण्ड (ख) के अधीन ब्लॉक किए गए प्रमाणपत्रों को पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के माध्यम से विनिमेय की अनुमति नहीं होगी।

(घ) विद्युत व्यापारी इस खण्ड के उपखण्ड (ख) के अधीन ब्लॉक किए गए प्रमाणपत्रों की बिक्री के बाद केन्द्रीय एजेंसी को सूचित करेंगे।

(ङ) विद्युत व्यापारियों के माध्यम से प्रमाणपत्रों के विनिमय के लिए व्यापार मार्जिन विद्युत के एक मेगावाट घण्टे का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमाणपत्र को निरुपित करते हुए विद्युत अनुज्ञप्ति विनियम 2020 द्वारा अधिशासित होगा।

(5) पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के माध्यम से या विद्युत व्यापारियों के माध्यम से और बाध्यकारी इकाइयों द्वारा आरपीओ के अनुपालन के लिए प्रयुक्त एक बार विनिमेय प्रमाणपत्र मोचित होगा।

(6) मोचन होने पर, केन्द्रीय एजेंसी रजिस्ट्री से उक्त प्रमाणपत्रों को समाप्त करेगी और इसके रिकार्ड को अद्यतन करेगी।

(7) स्व–उपभोग की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित केप्टिव उत्पादन स्टेशनों को जारी किए गए प्रमाणपत्र आरपीओ के अनुपालन पर मोचित होंगे।

परंतु कि राज्य एजेंसी प्रमाणपत्रों के इस प्रकार के मोचन के बारे में केन्द्रीय एजेंसी को सूचित करेंगे जिस पर केन्द्रीय एजेंसी इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को समाप्त करेगी और इसके रिकॉर्ड को अद्यतन करेगी।

12. प्रमाणपत्र का मूल्यवर्ग

(1) इन विनियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित और ग्रिड में अंतःक्षेपित या किए जाने के लिए मोचित (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित पात्र केप्टिव उत्पादन स्टेशन द्वारा स्व–उपभोग के मामले में) विद्युत के एक मेगावाट घण्टे को प्रतिनिधित्व करेगाः

परंतु कि प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर इस विनिमय के खण्ड (2) के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

परंतु यह कि प्रमाणपत्रों को उत्पादित विद्युत के एक मेगावाट घण्टे और गिड में अंतःक्षेपित या अंतःक्षेपित किए जाने के लिए मोचित के लिए इस विनियम के खण्ड (2) के अनुसार निर्दिष्ट प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर के गुणज में जारी किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के प्रभाव की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए या इस प्रकार की अन्य अवधि के लिए प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर जिसे परिशिष्ट–I में यथाअवधारित आयोग द्वारा निर्णित किया जाता है, निम्नानुसार होगीः

नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्यागिकी	प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर
ऑन–शॉर पवन एवं सौर	1
हाइड्रो	1.5
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन	2
बायोमास एवं बायोफ्यूल	2.5

परंतु कि उक्त सारणी में कवर नहीं की गई अन्य नवीकरणयीय ऊर्जा के लिए, प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर को परिशिष्ट–I में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित मामला दर मामला आधार पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

परंतु कि आयोग विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्यागिकियों की लागत और परिपक्वता स्तर की समीक्षा के आधार पर समय समय से प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर को संशोधित करेगा।

(3) इस विनियम के खण्ड (2) के अनुसार लागू प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर इन विनियमों की प्रवृत्त होने की तारीख के बाद आरंभ किए गए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों और केप्टिव उत्पादन स्टेशनों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन के लिए एक बार निर्दिष्ट प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित केप्टिव उत्पादन स्टेशन या इस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन के आरंभ होने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे।

परंतु कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित केप्टिव उत्पादन जैसे स्टेशन के आरंभ होने की तारीख से पंद्रह वर्षों से आगे उनकी रजिस्ट्रेशन की वैधता की अवधि के लिए, इस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित केप्टिव उत्पादन स्टेशन को उत्पादित विद्युत और ग्रिड में अंतःक्षेपित या अंतःक्षेपित की जाने वाली विद्युत के एक मेगावाट घण्टे के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

13. प्रमाणपत्रों की कीमत

(1) प्रमाणपत्रों की कीमत पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या पात्र इकाइयों तथा विद्युत व्यापारियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति के अनुरूप अभिज्ञात होगी।

परंतु कि पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) तथा विद्युत व्यापारी ब्योरों सहित सभी संव्यवहारों को लेकिन मात्रा, कीमत, क्रेता और विक्रेता तक सीमित नहीं को मासिक आधार पर केन्द्रीय एजेंसी को रिपोर्ट करेगे।

(2) इस बात से संतुष्ट होने पर कि निम्नलिखित कोई परिस्थिति अस्तित्व में है या उसके घटित होने की संभावना है, आयोग पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या विद्युत व्यापारियों या नोडल एजेंसी को, जिसे वह आवश्यक समझता है को इस प्रकार के निर्देशों का आदेश दे सकता हैः

(क) प्रमाणपत्रों की कीमतों में असामान्य वृद्धि या कमी

(ख) प्रमाणपत्रों की कीमतों में आकस्मिक उतार–चढ़ाव

(ग) पावर एक्सचेंज के प्रमाणपत्रों की आकस्मिक उच्च या कम संव्यवहार मात्रा

14. प्रमाणपत्रों की वैधता

(1) जारी किए गए प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेंगे जब तक वे मोचित नहीं किए जातेः

परंतु कि जहां एक पात्र इकाई ने झूठी सूचना के आधार पर या भौतिक सूचना को छुपाने के आधार पर प्रत्यायन या रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है और इस प्रकार की इकाई का प्रत्यायन या रजिस्ट्रेशन बाद की तारीख में पुनः संहरित किया जाता है, तो इस प्रकार की इकाई को पहले से जारी किए गए, लेकिन मोचित नहीं किए गए, प्रमाणपत्र इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को जारी करने की तारीख से समाप्त हो जाएंगे और पहले से मोचित किए गए प्रमाणपत्रों के संबंध में, इस प्रकार की इकाई एक वर्ष की अवधि के निधि आधारित ऋण दर की भारतीय स्टेट बैंक मार्जिनल लागत

(एमसीएलआर) में दो सौ (200) से अधिक आधार प्वाइंट की दर पर ब्याज सहित इस प्रकार के प्रमाणपत्रों की बिक्री से वसूल की गई रकम केन्द्रीय एजेंसी को जमा करेगी।

15. फीस एवं प्रभार

केन्द्रीय एजेंसी से प्रस्ताव के आधार पर आयोग प्रत्यायन, रजिस्ट्रेशन, प्रमाणपत्रों को जारी करने और उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए पात्र इकाइयों द्वारा प्रतिदेय फीस एवं प्रभारों को निर्धारित करेगा।

16. विस्तृत क्रियाविधि

(1) केन्द्रीय एजेंसी इन विनियमों की अधिसूचना के तीन माह की अवधि के अंदर स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद विस्तृत क्रियाविधि जारी करेगी और आयोग को सूचना के लिए उसे प्रस्तुत करेगा।

(2) विस्तृत क्रियाविधि में निम्नलिखित सहित लेकिन उस तक सीमित नहीं, को शामिल किया जाएगाः

(क) इन विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (2) में यथाउल्लिखित पात्र इकाइयों के संबंध में उत्पादन के लेखांकन के लिए क्रियाविधि;

(ख) इन विनियमों के विनियम 6 के खण्ड (2) में यथाउल्लिखित प्रत्यायन के लिए क्रियाविधि;

(ग) इन विनियमों के विनियम 8 के खण्ड (1) में यथाउल्लिखित प्रमाणपत्र के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्रियाविधि;

(घ) इन विनियमों के विनियम 10 के खण्ड (1) में यथाउल्लिखित प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए क्रियाविधि;

(ङ) इन विनियमों के विनियम 11 के खण्ड (2) में यथाउल्लिखित पावर एक्सचेंज के माध्यम से या विद्युत व्यापारियों के माध्यम से प्रमाणपत्र के विनिमय के लिए आवधिकता;

(च) अन्य संबंद्ध और आकस्मिक मामले।

(17) निर्देश देने की शक्ति

आयोग समय समय से इस प्रकार के पद्धति निर्देशों और आदेशों को जारी करें जिसे वे इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए उचित समझता है।

(18) शिथिल करने की शक्ति

आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, सामान्य या विशेष आदेश से, और इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिलता प्रदान करते हुए प्रभावित होने के लिए संभावित पार्टियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद स्वप्रेरणा से या इच्छुक व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किए गए आवेदन पर इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा।

(19) निरसन एवं व्यावृत्तियां

(1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के अनुसार, आरईसी विनियम, 2010 और सभी परवर्ती संशोधन और उसकी क्रियाविधियां इन विनियमों के लागू होने की तारीख से निरस्त होंगे।

(2) ऐसे निरसन में किसी बात के होते हुए भीः

(क) निरसित विनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या कोई प्रत्यायन या रजिस्ट्रेशन या प्रदान की गई अनुमति या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखित या कोई निर्देश जो अब तक इन विनियमों के उपबंधों के अननुरूप नहीं है, इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अधीन की गई या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

(ख) आरईसी विनियम, 2010 के अधीन जारी किए गए और इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व मोचित नहीं किए गए प्रमाणपत्र (01.04.2017 से पूर्व जारी किए गए गैर–सौर प्रमाणपत्रों को छोड़कर)

https://cercind.gov.in/Regulations/172-GAZ.pdf

तब तक वैध रहेंगे जब तक उन्हें मोचित नहीं किया जाता और इन विनियमों के अनुसार विनिमय के लिए पात्र होंगे।

(ग) 01.04.2017 से पूर्व जारी किए गए गैर–सौर प्रमाणपत्रों का विनिमय याचिका संख्या 14/एसएम/2017 में दिनांक 04.06.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठित दिनांक 28.05.2018 के आयोग के पत्र द्वारा अधिशासित होना जारी रहेगा जब तक उन्हें 2018 की सिविल अपील संख्या 4801 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्देशों के अध्याधीन आरईसी विनियम, 2010 के अधीन उनकी वैधता के अनुसार मोचित नहीं किया जाता।

(घ) निरस्त विनियमों के अनुसरण में जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश या प्रदान किए गए अनुमोदन या की गई कोई नियुक्ति, यदि इन विनियमों के आरंभ में प्रवृत्त है, जारी रहेगी और प्रभावी होगी यदि इसे इन विनियमों के अनुसरण में या उसके अधीन जारी किया गया या निर्देश दिया गया, वही प्रभाव होगा जब तक कि इन विनियमों के अधीन अन्यथा विशिष्ट रूप से अपेक्षा न की गई हो।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./92/2022-23]

परिशिष्ट–I

प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर के अवधारण के लिए सिद्धांत

(क) प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के टैरिफ रेंज के आधार पर अवधारित किया गया है:

- अधिनियम की धारा 63 के अधीन बोली प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का टैरिफ
- विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं के लिए आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश।
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश।
- उपयुक्त आयोग द्वारा अवधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ, यदि कोई है।

(ख) उक्त सिद्धांतों के आधार पर, प्राक्कलित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को निर्दिष्ट प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर के लिए स्तरीकृत टैरिफ निम्नानुसार है:

नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्यागिकी पर आधारित	टैरिफ रेंज रु./किलोवाटघण्टा	प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर
ऑन–शॉर पवन एवं सौर	<=4	1
हाइड्रो	4-6	1.5
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन	6-8	2
बायोमास एवं बायोफ्यूल	8-10	2.5

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

No. RA-14026(11)/1/2022-CERC.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 178 and Section 66 read with clause (y) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes

the following regulations for the development of market in power from renewable energy sources through renewable energy certificates:

1. Short title and commencement

1. These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022.

2. These Regulations shall come into force from such date as may be notified by the Commission in the Official Gazette.

2. Definition

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,

a) '**Act**' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

b) **'Central Agency'** means the agency as referred to in Regulation 3 of these regulations;

c) **'Certificate'** means the renewable energy certificate issued by the Central Agency in accordance with these regulations;

d) **'Certificate Multiplier'** means the multiplier as determined under Regulation 12 of these regulations;

e) **'Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;

f) **'complete application'** means the application complete in all respects in the format as may be stipulated in the Detailed Procedure;

g) **'Detailed Procedure'** means the procedure issued by the Central Agency under these regulations;

h) **'eligible entity'** means an entity eligible for issuance of Certificates under these regulations;

i) **'Grid Code'** means means the Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;

j) **'National Load Despatch Centre'** means the National Load Despatch Centre established under sub-section (1) of Section 26 of the Act;

k) **'obligated entity'** means an entity for which the State Commission has specified requirement under clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Act to fulfil the renewable purchase obligation;

l) **'Power Exchange'** means a power exchange as defined under sub-clause (as) of clause (1) of Regulation 2 of the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021;

m) **'REC Regulations, 2010'** means the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010, as amended from time to time**;**

n) **'Regional Load Despatch Centre'** or **'RLDC'** means the Regional Load Despatch Centre established under sub-section (1) of Section 27 of the Act;

o) **'registration'** means registration of eligible entities by the Central agency for the purpose of issuance of Certificates**;**

p) **'renewable energy sources'** means sources of renewable energy such as hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, bio fuel cogeneration, urban or municipal waste and such other sources as recognized or approved by the Central Government;

q) **'renewable purchase obligation' or 'RPO'** means the requirement specified by the State Commissions under clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Act for an entity to purchase electricity from renewable energy sources;

r) **'State Agency'** means the agency designated by the concerned State Commission for accreditation of eligible entities for grant of Certificates;

s) **'State Commission'** means the State Commission referred to in sub-section (64) of Section 2 of the Act;

t) **'State Grid Code'** means the State Grid Code specified by the State Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;

u) **'Trading Licence Regulations, 2020'** means the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2020, as amended from time to time and any re-enactment thereof; and

v) **'Year'** means a financial year.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or any other regulations issued by the Commission, shall have the same meaning as assigned to them respectively in the Act, or such other regulations issued by the Commission.

3. Central Agency and its Functions

(1) The National Load Despatch Centre shall be the Central Agency for the purpose of these regulations:

Provided that the Commission may designate any other agency as the Central Agency after satisfying itself that such agency has the required capability of performing functions as provided under these regulations.

(2) The functions of the Central Agency shall be to:

(i) undertake registration of eligible entities,

(ii) develop a mechanism for accounting of generation and sale in respect of Certificates;

(iii) undertake issuance of Certificates,

(iv) maintain and settle accounts in respect of Certificates,

(v) act as repository of transactions in Certificates,

(vi) maintain Registry of Certificates,

(vii) perform such other functions incidental to sub-clauses (i) to (vi) of this clause, and

(viii) undertake any other function that may be assigned by the Commission.

4. Eligibility for Issuance of Certificates

(1) Following entities shall be eligible for issuance of Certificates:

(a) Renewable energy generating stations,

(b) Captive generating stations based on renewable energy sources,

(c) Distribution licensees, and

(d) Open access consumers

(2) A renewable energy generating station shall be eligible for issuance of Certificates, if it meets the following conditions:

(a) the tariff of such renewable energy generating station, for part or full capacity, has not been either determined or adopted under section 62 or section 63 of the Act respectively, or the electricity generated is not sold directly or through an electricity trader or in the Power Exchange, for RPO compliance by an obligated entity:

(b) such renewable energy generating station has not availed any (i) waiver of or concessional transmission charges or (ii) waiver of or concessional wheeling charges.

(3) A captive generating station based on renewable energy sources and meeting the conditions as specified under clause (2) of this Regulation in respect of renewable energy generating station shall be eligible for issuance of Certificates:

Provided that the Certificates issued to such captive generating station to the extent of self-consumption, shall not be eligible for sale.

(4) An obligated entity being a distribution licensee or an open access consumer, which purchases electricity from renewable energy sources in excess of the renewable purchase obligation as determined by the concerned State Commission shall be eligible for issuance of Certificates to the extent of purchase of such excess electricity from renewable energy sources.

5. The Processes

The process involves (i) accreditation to the eligible entities for Certificates and (ii) registration of the eligible entities for Certificates and (iii) issuance, exchange and redemption of Certificates, as specified in these regulations.

6. Grant of Accreditation for Certificates

(1) Accreditation to the eligible entities connected to intra-State transmission system shall be granted by the State Agency:

Provided that the eligible entities granted accreditation prior to the date of coming into force of these regulations shall be deemed to have been granted accreditation under these regulations till validity of their respective accreditations.

(2) Accreditation to the eligible entities connected to the inter-State transmission system shall be granted by the RLDC of the region in which such eligible entities are located, in accordance with the Procedure for Accreditation to be issued by the Central Agency as part of the Detailed Procedure:

Provided that the eligible entities granted accreditations prior to the date of coming into force of these regulations shall be deemed to have been granted accreditations under these regulations and their accreditations shall remain valid till the date of validity of their respective accreditations.

(3) The eligible entities that have been granted accreditations, referred to in clause (2) of this Regulation, which have undergone a change in name or change in legal status after the grant of accreditation, shall inform, along with relevant documents from the appropriate authority such as Registrar of Companies or National Company Law Tribunal or any other Court, to the concerned RLDC which shall, upon verification of documents, update such change in its records within 30 days from the date of such information and inform the same to the Central Agency.

(4) Notwithstanding the provisions contained in clauses (1) and (2) of this Regulation, a distribution licensee or an open access consumer satisfying the eligibility conditions specified in clause (4) of Regulation 4 of these regulations, shall deemed to have been accredited for grant of registration under these regulations.

7. Revocation of Accreditation

The concerned RLDC, after making an enquiry and giving notice may revoke, recording reasons for such revocation, accreditation granted to an eligible entity referred to in clause (2) of Regulation 6 of these regulations in case the eligible entity breaches any of the terms and conditions of its accreditation, the breach of which is expressly declared by such accreditation to render it liable for revocation.

8. Grant of Registration for Certificates

(1) An eligible entity which has been granted accreditation or deemed to have been granted accreditation under these regulations, shall be eligible for grant of registration by the Central Agency in accordance with the Procedure for Registration for Certificate to be issued by the Central Agency as part of the Detailed Procedure:

Provided that the entities granted registration under the REC Regulations, 2010 shall be deemed to have been granted registration under these regulations.

(2) The registration granted in terms of these regulations shall be valid for twenty five years from the date of registration:

Provided that the registration granted under the REC Regulations, 2010 and deemed to have been granted registration under these regulations shall be valid for a period of twenty five years from the date of deemed registration .

(3) The entities having been granted registration which have undergone change in name or change in legal status after the grant of registration, shall inform, along with relevant documents from the appropriate authority such as Registrar of Companies or National Company Law Tribunal or any other Court, to the Central Agency which shall, upon verification of documents update such change in its records within 30 days from the date of such application.

9. Revocation of Registration

The Central Agency, after making an enquiry and giving notice may revoke, recording reasons for such revocation, registration granted to an eligible entity referred to in clause (1) of Regulation 8 of these regulations in case the eligible entity breaches any of the terms and conditions of its registration, the breach of which is expressly declared by such registration to render it liable for revocation.

10. Issuance of Certificates

(1) An eligible entity which has been granted registration or deemed to have been granted registration may apply for issuance of Certificates, to the Central Agency in accordance with the Procedure of Issuance of Certificate to be issued by the Central Agency as part of the Detailed Procedure.

(2) Application for issuance of Certificates shall be made by an eligible entity being a renewable energy generating station or a captive generating station based on renewable energy sources, to the Central Agency within six months from the corresponding generation by the eligible entity:

Provided that no Certificate shall be issued in case the application is made beyond the period of six months from the corresponding generation.

(3) Application for issuance of Certificates shall be made by an eligible entity being a distribution licensee or an open access consumer within three months from the end of a financial year, along with a copy of certification from the concerned State Commission about purchase of electricity from renewable energy sources in excess of the renewable purchase obligations as determined by the concerned State Commission:

Provided that no Certificate shall be issued in case the application is made beyond the period of three months from the end of the financial year.

(4) The Central Agency shall, within fifteen days from the date of receipt of complete application for issuance of Certificates from an eligible entity, issue Certificates or reject the application recording the reasons for such rejection and intimate the same to the concerned entity.

(5) The Certificates shall be issued to the eligible entity being a renewable energy generating station or a captive generating station based on renewable energy sources, on the basis of the electricity generated and injected into the grid or deemed to be injected in case of self-consumption by the eligible captive generating station based on renewable energy sources and duly accounted in the Energy Accounting System:

(i) as per the Grid Code or the State Grid Code, as the case may be, or

(ii) based on written communication of distribution licensee to the concerned State Load Despatch Centre or Regional Load Despatch Centre with regard to the energy input by the renewable energy generating station and captive generating station based on renewable energy sources which are not covered under the existing scheduling and despatch procedures.

(6) The entities granted registration or deemed to have been granted registration under these regulations shall be eligible for issuance of Certificates for the validity period of their registration.

11. Exchange and Redemption of Certificates

(1) The Central Agency shall maintain a Registry of Certificates.

(2) The Certificates shall be exchanged through power exchanges or through electricity traders in such periodicity as may be stipulated by the Central Agency in the Detailed Procedure.

(3) The Power Exchange(s) shall seek approval of the Commission, as may be required under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021, to the respective Bylaws and Rules for exchange of Certificates in the Power Exchange(s).

(4) Exchange of Certificates through electricity traders shall be subject to the following:

(a) The eligible entities shall inform, in advance, to the Central Agency about the number of Certificates intended to be sold through electricity traders;

(b) The Central Agency shall block such number of Certificates in the Registry as informed by the eligible entities in terms of sub-clause (a) of this clause;

(c) The Certificates blocked under sub-clause (b) of this clause shall not be allowed to be exchanged through Power Exchange(s);

(d) The electricity traders shall intimate to the Central Agency consequent upon sale of the Certificates blocked under sub-clause (b) of this clause;

(e) The trading margin for exchange of Certificates through electricity traders shall be governed by the Trading Licence Regulations, 2020, treating one Certificate representing one Megawatt hour of electricity.

(5) The Certificates once exchanged through Power Exchange(s) or through electricity traders and used for compliance of RPO by the obligated entities, shall stand redeemed.

(6) Upon redemption, the Central Agency shall extinguish the said Certificates from the Registry and update its records.

(7) The Certificates issued to captive generating stations based on renewable energy sources to the extent of self-consumption shall stand redeemed on compliance of RPO:

Provided that the State Agency shall inform the Central Agency about such redemption of Certificates, upon which the Central Agency shall extinguish such Certificates and update its records.

12. Denomination of Certificate

(1) Each Certificate issued under these regulations shall represent one Megawatt hour of electricity generated from renewable energy sources and injected or deemed to be injected (in case of self-consumption by eligible captive generating station based on renewable energy sources) into the grid:

Provided that Certificate Multiplier may be determined by the Commission as per clause (2) of this Regulation:

Provided further that Certificates shall be issued in multiple of the assigned Certificate Multiplier as per clause (2) of this Regulation for one Megawatt hour of electricity generated and injected or deemed to be injected into the grid.

The Certificate Multiplier for the period of three years from the date of effect of these regulations or such other period as may be decided by the Commission, as determined in **Appendix-1** shall be as under:

Renewable Energy Technologies	**Certificate Multiplier**
On-shore Wind and Solar	1
Hydro	1.5
Municipal Solid Waste (MSW) and non-fossil fuel-based cogeneration	2
Biomass and Biofuel	2.5

Provided that the Certificate Multiplier for other renewable energy technologies, not covered in the above table, shall be notified by the Commission on a case-to-case basis based on the principles stipulated in Appendix-1:

Provided further that the Commission may, from time to time, based on review of the maturity level and cost of various renewable energy technologies, revise the Certificate Multiplier.

(3) Applicable Certificate multiplier as per clause (2) of this Regulation shall be assigned to the renewable energy generating stations and captive generating stations based on renewable energy sources, commissioned after the date of coming into force of these regulations.

(4) The Certificate Multiplier once assigned to a renewable energy generating station, shall remain valid for a period of fifteen years from the date of commissioning of such renewable energy generating station or captive generating station based on renewable energy sources:

Provided that for the period of validity of their Registration beyond fifteen years from the date of commissioning of such renewable energy generating station or captive generating station based on renewable energy sources, such renewable energy generating station or captive generating station based on renewable energy sources shall be issued one Certificate for one Megawatt hour of electricity generated and injected or deemed to be injected into the grid.

13. Pricing of Certificates

(1) The price of Certificates shall be as discovered in the Power Exchange(s) or as mutually agreed between eligible entities and the electricity traders:

Provided that the Power Exchange(s) and the electricity traders shall report all transactions with details including but not limited to volume, price, buyers and sellers to the Central Agency on a monthly basis.

(2) The Commission may by an order give such directions to the Power Exchange(s) or the electricity traders or the Nodal Agency as may be considered necessary, on being satisfied that any of the following circumstances exist or are likely to occur:

(a) Abnormal increase or decrease in prices of Certificates;

(b) Sudden volatility in the prices of Certificates;

(c) Sudden high or low transaction volumes of Certificates on a Power Exchange.

14. Validity of Certificates

(1) The Certificates issued shall remain valid until they are redeemed:

Provided that where an eligible entity has obtained accreditation or registration on the basis of false information or by suppressing material information and the accreditation or registration of such entity is revoked at a later date, the

Certificates already issued to such entity, but not redeemed, shall stand extinguished from the date of issue of such Certificates and in respect of Certificates already redeemed, such entity shall deposit in the Central Agency, the amount realized from sale of such Certificates along with the interest at the rate of two hundred (200) basis points above the State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) of one year tenor.

15. Fees and Charges

The Commission may, based on the proposal from the Central Agency, determine the fees and charges payable by the eligible entities for accreditation, registration, issuance of Certificates and other matters connected therewith.

16. Detailed Procedure

(1) The Central Agency shall issue the Detailed Procedure after stakeholders' consultation within a period of 3 months of notification of these regulations and submit the same for information to the Commission.

(2) The Detailed Procedure shall contain procedures including, but not limited to:

(a) Procedure for accounting of generation in respect of eligible entities as referred in clause (2) of Regulation 3 of these regulations;

(b) Procedure for Accreditation as referred in clause (2) of Regulation 6 of these regulations;

(c) Procedure for Registration for Certificate as referred to in clause (1) of Regulation 8 of these regulations;

(d) Procedure for Issuance for Certificate as referred to in clause (1) of Regulation 10 of these regulations;

(e) Periodicity for exchange of Certificate through power exchange or through electricity traders as referred to in clause (2) of Regulation 11 of these regulations;

(f) other related and incidental matters.

17. Power to give directions

The Commission may, from time to time, issue such practice directions and orders as considered appropriate for the implementation of these regulations.

18. Power to Relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by interested person(s).

19. Repeal and Savings

(1) Save as otherwise provided in these regulations, the REC Regulations, 2010 and all subsequent amendments thereto and Procedures thereof shall stand repealed from the date of coming into force of these regulations.

(2) Notwithstanding such repeal:

(a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken or any accreditation or registration or permission granted or any document or instrument executed or any direction given under the repealed regulations shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these regulations, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;

(b) the Certificates issued under the REC Regulations, 2010 (except the Non-Solar Certificates issued prior to 1.4.2017) and not redeemed prior to the date of coming into force of these regulations shall remain valid until they are redeemed and shall be eligible for exchange as per these regulations;

(c) the exchange of the Non-Solar Certificates issued prior to 1.4.2017 shall continue to be governed by the Commission's letter dated 28.5.2018 read with corrigendum dated 4.6.2018 in Petition No.14/SM/2017 till they are redeemed as per their validity under the REC Regulations 2010, subject to any further directions of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No.4801 of 2018.

(d) any order or direction issued or approval granted, or any appointment made in pursuance of the repealed regulations shall, if in force at the commencement of these regulations, continue to be in force, and shall have effect as if made, directed or issued under or in pursuance of these regulations, unless otherwise specifically required under these regulations.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./92/2022-23]

Appendix-1

Principles for Determination of Certificate Multiplier

A) Certificate Multiplier has been determined based on the tariff range of various renewable energy sources, by taking into account the:

- Tariffs of renewable energy projects discovered through bidding process under Section 63 of the Act;
- Tariff Orders issued by the Commission for projects based on various Renewable Energy Sources;
- Tariff Orders issued by State Electricity Regulatory Commissions for Renewable Energy Projects;
- Renewable Energy Project Specific Tariffs determined by the Appropriate Commission, if any.

B) Based on the above principles, the levelized tariff for renewable energy technologies estimated and Certificate Multiplier assigned to renewable energy technologies are as follows:

Renewable Energy Technologies based on	**Tariff Range in Rs/kWh**	**Certificate Multiplier**
On-shore Wind and Solar	<=4	1
Hydro	4-6	1.5
Municipal Solid Waste (MSW) and non-fossil fuel-based cogeneration	6-8	2
Biomass and Biofuel	8-10	2.5

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.28 13:02:39 +05'30'